



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/651/2024/...6792

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
BMSICL, पटना

पटना, दिनांक 08/03/2025

विषय: राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में Foetal Doppler की आपूर्ति करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती माताओं के ANC के दौरान Foetal जाँच हेतु संस्थान में उक्त उपस्कर के अंतर-विशलेषण के उपरांत Foetal Doppler मानक उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित विवरणी के अनुसार संबंधित संस्थानों में Foetal Doppler की आपूर्ति कराया जाय:-

क्र०	संस्थान	संस्थान की संख्या	Foetal Doppler प्रति संस्थान	Foetal Doppler की कुल संख्या
1	सदर अस्पताल	36	प्रति संस्थान 2	72
2	अनुमंडलीय अस्पताल	51	प्रति संस्थान 2	102
3	रेफरल अस्पताल	57	प्रति संस्थान 2	114
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	443	प्रति संस्थान 2	886
5	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	106	प्रति संस्थान 1	106
6	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1030	प्रति संस्थान 1	1030
7	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर/स्वास्थ्य उपकेन्द्र	10291	प्रति संस्थान 1	10291
कुल				12601

2. Foetal Doppler की आपूर्ति हेतु संबंधित जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में समीक्षोपरान्त स्वीकृति दी जा रही है। अतएव, उपर्युक्त सूची के आलोक में BMSICL द्वारा दर अनुबंध में निहित शर्तों के आलोक में Foetal Doppler की आपूर्ति की जायेगी। सभी जिला/स्वास्थ्य संस्थान BMSICL से आपूर्ति प्राप्त Foetal Doppler की प्रविष्टि स्वास्थ्य संस्थान के भंडार पंजी एवं EMMS पर विधिवत् रूप से करेंगे। साथ ही, उक्त Foetal Doppler की प्रविष्टि BMMP पोर्टल पर भी किया जाए।

3. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त सूची के अनुरूप उक्त अस्पतालों में Foetal Doppler की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कराने की कृपा की जाय। इस आपूर्ति में होने वाली व्यय राशि का हस्तांतरण निगम के अधियाचना के आलोक में की जायेगी।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुहर्ष भगत) 08/03/25

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

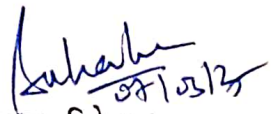


राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



ज्ञापांक:- SHSB/PM/651/2024/...6.9.9.2... पटना, दिनांक...08/03/2025 -
प्रतिलिपि:-

- सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि दो दिनों के अंदर EMMS (Equipment Management Maintenance System) पर इन्डेंट कराना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी, प्रोक्योरमेंट/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मातृ स्वास्थ्य/सहायक निदेशक, औषधि, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं निदेश है कि BMSICL से आपूर्ति प्राप्त Foetal Doppler की प्रविष्टि EMMS (Equipment Management & Maintenance System) तथा Biomedical Equipment Management and Maintenance Programme (BMMP) पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


कार्यपालक निदेशक

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार